

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

शुद्धि-पत्र

पटना, दिनांक.....

संचिका संख्या-20/ब० 2-15/2013/विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-144 दिनांक 04.09.2015 की कड़िका 6 (ख) में अंकित राशि ₹4280.472 लाख (बयालीस करोड़ अस्सी लाख सैंतालीस हजार दो सौ) रुपये की निकासी ए०सी० विपत्र पर अग्रिम के रूप में निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार, पटना के द्वारा प्राप्त आवंटन के आधार पर की जायेगी।

उक्त राशि का समायोजन डी०सी० विपत्र पर करते हुए इसकी सूचना निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

स्वीकृत्यादेश संख्या-144 दिनांक 04.09.2015 के कड़िका 6 (ख) को इस हद तक संशोधित समझा जाए।
शेष यथावत रहेंगे।

उक्त संशोधन में विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुनील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 20/ब० 2-15/2013 पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 20/ब० 2-15/2013..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- राज्य परियोजना निदेशक, विश्व बैंक परियोजना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 20/ब० 2-15/2013..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- वित्त विभाग बजट शाखा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, महेन्द्र, पटना/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-5 एवं 20, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा/सभी संबंधित प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 20/ब० 2-15/2013..... 47 पटना, दिनांक 09/03/2016

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-
संयुक्त सचिव